10/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा, जो दिया गया। पूर्व आदेश दि. 05/07/2021 की अवधि दिनांक 21/07/25 तक बढ़ायी जाकर पत्रावली वास्ते बहस दि. 21/07/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 10/6/25
21/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आयपक्ष उपस्थित। बहस आयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा-212 R.T. Act दि. 26/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 21/7/25
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। आर्जि० प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम कुवांस तहसील रायपुर की वाद्ग्रस्त आराजी खाता सं० 69 किता 9 रकबा 8.8398 hae एवं खाता सं० 71 किता 6 रकबा 1.2393 [illegible] की उसका पंजनाथ के खाते दर्ज [illegible] और इसलिए प्रार्थीगण [illegible] ½ भाग जिहे [illegible] है। आर्जि० प्रार्थीगण का कथन है कि वाद्ग्रस्त आराजी पंजनाथ की स्व आर्जित सम्पत्ति है और अभी तक प्रार्थीगण के पिता/पति मुकेश का हिस्सा तक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज नहीं हुआ है। अप्रार्थी पक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि जगन्नाथ अभी जीवित है और जगन्नाथ के 01 पुत्र - मुकेश, 03 पुत्रियां - रोशनबाई, जतनबाई व सहायताबाई तथा बेवा डाली बाई भी जीवित है। इस तथ्य पर भी सहमत है कि अप्रार्थी 2 मुकेश के दो पुत्र - कमलेश व युवराज तथा दो पुत्रियां - यशोदा व रजनी एवं एक दूसरी पत्नि भी है।

अतः यदि वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति मान लिया जावे और दादा जगन्नाथ के खाते दर्ज होने पर भी Notional share निहित होना मान भी लिया जावे तो अप्रार्थी 2 का Notional share 1/5 भाग होगा जिसमें प्रार्थी 1 का Notional share $1/5 \times 1/5 = 1/25$ भाग होगा। प्रार्थी 2 पत्नि का कोई Notional share (the Hindu Succession Act में कोई प्रावधान नहीं है) नहीं बनेगा।

वादग्रस्त आराजी अभी अप्रार्थी क्रम 1 जगन्नाथ के सहखाते दर्ज है और प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि यह आराजी जगन्नाथ को विरासत (inheritence) मिली हो। Shyam Narayan prasad v/s Krishna prasad 2018, S. Sampoornam v/s C.K. Shanmugam 2022, Saravanna v/s V.R. Virupakshaib 2019 and Gurdip Kaur v/s Ghamand Singh 1964 में प्रतिपादित किया है कि "कोई पूर्वज से विरासत में प्राप्त अविभाजित पैतृक संपत्ति होगी"। अतः वादग्रस्त भूमि Great Grand father से अविभाजित रूप में विरासत में प्राप्त होने का कोई Documentary evidence

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पत्रावली पर प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं होने से वादग्रस्त आराजी पैतृक संपत्ति साबित नहीं होती है, साथ में, वादग्रस्त भूमि प्रार्थी 1 के पिता को अभी तक विरासत में प्राप्त नहीं होकर, जगन्नाथ के ही खाते दर्ज है और इसलिए जगन्नाथ (दादा) के जीवनकाल में Notional share claim नहीं कर सकते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RT खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner